कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क / एफ–166 / स्टे.आयु. / 2021–22 / 4057   भिलाई, दिनांक 05/10/2021

/ / आदेश / /

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–दुर्ग, छ.ग. के निर्देश क्रमांक 1610 / अति.जि.द. / 2021, दुर्ग दिनांक 04 / 10 / 2021 के अनुसार नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एंव रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एंव आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में निर्देश प्रसारित किया गया है। निर्देश की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त निर्देश का पालन सर्व जोन आयुक्त से सुनिश्चित करने हेतु **श्री सुनील अग्रहरि, उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई** को **नोडल अधिकारी** नियुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(प्रकाश कुमार सर्वे)
रा.प्र.से.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क / एफ–166 / स्टे.आयु. / 2021–22 / 4058   भिलाई, दिनांक 05/10/2021

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर सह प्रशासक महो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
4. श्री सुनील अग्रहरि, उपायुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ व पालनार्थ।
5. उपायुक्त I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
6. जोन आयुक्त, जोन 1,2,3,4 एवं 5, नगर पालिक निगम भिलाई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।
7. कार्यपालन अभियंता, जोन–1,2,3,4 एवं 5 / जलकार्य / स्वास्थ्य / कम्प्युटर / विद्युत / भवन संधारण / स्टोर, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. सर्व संबंधित विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला दुर्ग (छ0ग0)

//निर्देश//

क्रमांक 1610/अति.जि.दं./2021 दुर्ग दिनांक 4/10/2021

नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह मे कोरोना पाजिटिव प्रकरणो की सख्या मे वृद्धि की सभावना है, जिसे रोकने एवं नियंत्रण मे रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किया जाता है :-

1- मूर्ति की अधिकतम उंचाई 08 फीट होनी चाहिए परन्तु पी0ओ0पी0 (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा ।

2- मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 x 15 फीट से अधिक न हो ।

3- पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्गफीट खुली जगह हो ।

4- पंडाल के सामने 500 वर्गफीट खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो ।

5- मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योति का प्रज्वलन किया जावेगा, उक्त नियत स्थान पर अग्नि शमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा ।

6- ज्योति दर्शन हेतु दर्शनार्थियों एवं अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा । ज्योति प्रज्जवलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी ।

7- मंडप/पंडाल के सामने दर्शनार्थियों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नहीं की जाय। दर्शनार्थियों एवं दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सिया भी नहीं लगाई जाएगीं । अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचा जावे ।

8- किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 दर्शनार्थियों/व्यक्ति से अधिक संख्या न हो । मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नही जाएगा । ऐसा पाए जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

9- कोरोना वायरस की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए रास/गरबा/डांडिया का आयोजन वृहद रूप से नहीं किया जावे । आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 100 व्यक्ति ही सम्मिलित हो सकेगें ।

10- मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम,पता , मोबाईल नम्बर दर्ज किया जावेगा ताकि उनके से कोई भी व्यक्ति संक्रमित होने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।

11- मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर , थर्मल स्किनिंग , आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू (कतार) मेनेजमेंट सिस्टल की सुव्यवस्थित व्यवस्था की जावेगी । थर्मल स्किनिंग में बुखार पाए जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी ।

12– व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेन्सिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली या बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा ।

13– कन्टेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी । यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र में कन्टेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी ।

14– मूर्ति स्थापना के दौरान , बिसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात किसी भी प्रकार के भोज , भंडारा की अनुमति नहीं होगी ।

15– ध्वनि विस्ताकर यंत्र जैसे– धुमाल /बॉस बैंड तथा अन्य वाद्य यंत्र जिसका पीएमपीओ 200 वॉट से अधिक न हो के बजाने की अनुमति स्थापित पण्डाल अथवा नियत स्थल के 100 मीटर की परिधि क अर्न्तगत क लिए होगी । विसर्जन के साथ साथ अनुमति होगी ।

16– मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी ।

17– मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विर्जन के लिए एक पिक–अप टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा ।

18– मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी प्रकार के अतिरिक्त साज –सज्जा , झांकी की अनुमति नहीं होगी ।

19– मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति को ही अनुमति होगी एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे ।

20– मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी । विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत, भण्डारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी ।

21– मूर्ति एवं पूजन सामग्रीयों को विसर्जन स्थानीय निकाय –नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्धारित विसर्जन कुंड में ही किया जावेगा ।

22– विसर्जन के लिए नगर निगम/नगर पालिक परिषद/नगर पंचायत /ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित रूट (मार्ग) तिथि एवं समय का पालन करना होगा । शहर के व्यस्त मार्गो से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी । यातायात पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा इस हेतु निर्धारित मार्ग का उपयोग एवं दिशा निर्देश का पालन करना होगा ।

23– सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रकिया की अनुमति नहीं होगी ।

24– उपरोक्त शर्तो के साथ किसी परिसर के अंदर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है तो कम से कम 03 दिवस के पूर्व स्थानीय निकाय – नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद, नगर पंचायत के जोन /वार्ड कार्यालय में निर्धारित शपथपत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा सकेगी किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जाएगी , जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो ।

25– **पंडाल स्थापित करने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग करने हेतु 3 दिन पूर्व शपथ पत्र–मय आवेदन संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जाएगी। अनुमति ऐसे किसी भी स्थान पर नही दी जाएगी जहॉ सार्वाजनिक निस्तार एवं यातायात बाधित होने की संभावना हो।**

इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , छत्तीसगढ़ शासन , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन दुर्ग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा ।

यह निर्देश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्देश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जावेगी ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला –दुर्ग

पृ0 कमांक 1610 ./अति.जि.दं./2021 दुर्ग दिनांक 4/10/2021

प्रतिलिपि :–

1– श्रीमान आयुक्त दुर्ग संभाग दुर्ग को सूचनार्थ प्रषित।

2– पुलिस अधीक्षक दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया अपने अधीनस्थ अमल को उपरोक्त व्यवस्था से अवगत कराते हुए समुचित सुरक्षा प्रबंध एवं कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था की स्थिति कायम रखे जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगें ।

3– सीईओ जिला पंचायत दुर्ग को सूचनार्थ । कृपया उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय ग्राम पंचायतों के माध्यम से करावें ।

3– आयुक्त नगर पालिक निगम दुर्ग, भिलाई, चरौदा –भिलाई–3, रिसाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4– एसडीएम दुर्ग शहर/ग्रामीण, धमधा, पाटन, छावनी, भिलाईनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– सीएसपी /एसडीओ(पी) सर्व जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4– मुख्य नगर पालिका /नगर पंचायत अधिकारी – नगर पालिक परिषद जामुल, नगर पंचायत क्षेत्र – धमधा/पाटन/उतई/अहिवारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

5– तहसीलदार /अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (सर्व) जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितं।

6– थाना प्रभारी (सर्व) जिला दुर्ग को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7– सीईओ जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन जिला दुर्ग को सूचनार्थ । निर्देशों से अपने जनपद क्षेत्र के सरपंच ग्राम पंचायतों को अपने स्तर से अवगत करावें तथा व्यवस्था पर आप भी सतत निगरानी रखें ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला –दुर्ग